झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

संख्या–खा0प्र0–2–स्था0–13/2005(छाया संचिका)– /राँची, दिनांक

भारत का संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा ''झारखण्ड राज्य आपूर्ति सेवा'' में भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तो को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :–**
   (i) यह नियमावली ''झारखण्ड राज्य आपूर्ति सेवा नियमावली, 2013'' कही जा सकेगी।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
   (iii) यह नियमावली, अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. **परिभाषाएं :–** जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में –
   (i) ''राज्य सरकार से अभिप्रेत है – झारखण्ड राज्य सरकार;
   (ii) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है –प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी के संदर्भ में प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग और सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी पद के संदर्भ में झारखण्ड राज्यपाल;
   (iii) ''संवर्ग नियंत्री प्राधिकार'' से अभिप्रेत है – प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग;
   (iv) ''विभाग'' से अभिप्रेत है – खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग;
   (v) ''आयोग'' से अभिप्रेत है – झारखण्ड लोक सेवा आयोग/राज्य कर्मचारी चयन आयोग;
   (vi) ''सेवा'' से अभिप्रेत है – खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के नियंत्रणाधीन आपूर्ति सेवा संवर्ग;
   (vii) ''परिशिष्ट'' से अभिप्रेत है – इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट;
   (viii) ''परीक्ष्यमान'' से अभिप्रेत है, स्थायी पदो के विरूद्ध परीक्ष्यमान रूप से सीधी भर्त्ती से नियुक्त प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी।
   (ix) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार में आपूर्ति सेवा के सदस्य जिसके अन्तर्गत प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ जिला आपूर्ति पदाधिकारी पद, जो सेवा के किसी श्रेणी के सदस्य की नियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं या भरे जाएँ सम्मिलित हैं, के सदस्य।

3. **सेवा/संवर्ग का गठन :–**
   (1) इस सेवा के पद सोपान, वेतनमान्, वर्गीकरण तथा नियुक्ति प्राधिकारी निम्नवत् होंगे:–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान्	अराजपत्रित/ राजपत्रित	नियुक्ति प्राधिकार
1	2	3	4	5
1	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी	पीबी–।।–9300–34800 ग्रेड पे 4200	अराजपत्रित समूह 'ख'	प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य अपूर्ति विभाग
2	पणन पदाधिकारी	पीबी–।।–9300–34800 ग्रेड पे 4600	अराजपत्रित समूह 'ख'	प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य अपूर्ति विभाग
3	सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी	पीबी–।।–9300–34800 ग्रेड पे 4800	राजपत्रित समूह 'ख'	झारखण्ड राज्यपाल
4	जिला आपूर्ति पदाधिकारी	पीबी–।।–9300–34800 ग्रेड पे 5400	राजपत्रित समूह 'ख'	झारखण्ड राज्यपाल

4, **प्राधिकृत बल :–** **(I)** सेवा का वर्त्तमान बल निम्नांकित है, परन्तु आवश्यकतानुसार समय–समय पर पद–सृजन अथवा पद समाप्ति के फलस्वरूप सेवा बल तद्नुसार पुनरीक्षित समझा जायेगा :–

(i) प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी,
(ii) पणन पदाधिकारी,
(iii) सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
(iv) जिला आपूर्ति पदाधिकारी

(II) **उपनियम (I)** के तहत् निर्धारित स्वीकृत बल के आधार पर विभिन्न जिला, अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तर पर पदों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति के पश्चात् सम्वर्ग नियंत्री विभाग द्वारा चिह्नीतिकरण का कार्य किया जायेगा।

(III) नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व से प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर कार्यरत प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी संवर्ग के सभी कर्मी इस सेवा के सदस्य समझे जायेंगे।

5. **पद सृजन :–**
सेवा में किसी कोटि के पदों का सृजन आवश्यकता के अनुरूप विहित प्रक्रियानुसार किया जा सकेगा।

6. **सेवा में भर्त्ती की प्रक्रिया :–**

(i) सेवा में प्रवेश बिन्दु पर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी का पद, मूल कोटि का होगा जो शत्प्रतिशत सीधी भर्त्ती द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से आयोग द्वारा संचालित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरा जायेगा। आयोग द्वारा मेघा क्रम में अनुशंसित पैनल से नियुक्ति की जायेगी। प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष की रिक्तियों के लिए अधियाचना आयोग को दिसम्बर माह तक भेज दी जायेगी।

(ii) भर्त्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हत्ता तथा भर्त्ती की प्रक्रिया परिशिष्ट–**I** के उपबंधों के अनुसार होगी। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के पद से उच्चत्तर सभी पदों पर उसके ठीक निचले पदों से प्रोन्नति वरीयता सह योग्यता द्वारा की जायेगी। प्रोन्नति के प्रस्ताव में विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा/परामर्श प्राप्त कर लिया जायेगा।

7. **परीक्ष्यमान अवधि :–** नियम–6 के तहत् भर्त्ती किये गये प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को नियुक्ति की तिथि से परीक्ष्यमान घोषित किया जायेगा। परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी। इस अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर इसे एक वर्ष विस्तारित किया जा सकेगा।

8. **आरक्षण :–** सेवा या संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

9. **सेवा सम्पुष्टि/विभागीय परीक्षा :–**

(i) परीक्ष्यमान अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने और विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता, कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा की उत्तीर्णता प्राप्त करने पर सेवा में सम्पुष्टि की जा सकेगी।

10. **प्रशिक्षण :–** परीक्ष्यमान अवधि में प्रत्येक कर्मी को लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान (ए.टी.आई.), मेयर्स रोड, राँची द्वारा संचालित प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा।

11. **वेतनवृद्धि :–** नियुक्ति के पश्चात् कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एव प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही प्रथम एवं पश्चातवर्त्ती वेतनवृद्धि स्वीकृत की जा सकेगी।

12. प्रोन्नति :–

(i) इस सेवा के सम्पुष्ट कर्मियों की प्रोन्नति की श्रृंखला निम्नानुसार होगी :–

(क) प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी से पणन पदाधिकारी के पद पर।

(ख) पणन पदाधिकारी से सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर।

(ग) सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी से जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर।

(ii) प्रोन्नति, योग्यता सह वरीयता के अनुसार होगी जो विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होगी।

13. कालावधिः–

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 398 दिनांक 16.01.2012 के द्वारा कालावधि के संबंध में निर्गत प्रावधान इस सेवा पर भी लागू होंगे।

14. प्रोन्नति हेतु चयन की प्रक्रिया :–

प्रोन्नति के लिये चयन इस प्रयोजनार्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति/समितियों द्वारा किया जायेगा। सभी प्रोन्नतियाँ विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होगी। विभागीय प्रोन्नति समिति उपलब्ध रिक्तियों के तीन गुना पदाधिकारियों की सूची पर विचार करेगी। प्रोन्नति कि लिये कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि का पूरा होना आवश्यक होगा।

(i) आपूर्ति सेवा के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नानुसार होगी :–

(क) प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी से पणन पदाधिकारी एवं पणन पदाधिकारी से सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु :–

1. प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग – अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव/उप सचिव, स्थापना प्रभारी, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग – सदस्य सचिव
3. कल्याण विभाग,, झारखण्ड, राँची द्वारा मनोनीत पदाधिकारी जो उप सचिव से निम्न स्तर के न हों – सदस्य
4. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी जो उप सचिव से निम्न स्तर के न हों – सदस्य

(ख) जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु :–

1. विकास आयुक्त – अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग – सदस्य
3. संयुक्त सचिव/उप सचिव, स्थापना प्रभारी, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग – सदस्य सचिव
4. कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा मनोनीत पदाधिकारी जो उप सचिव से निम्न स्तर के न हों – सदस्य
5. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी जो उप सचिव से निम्न स्तर के न हों – सदस्य

टिप्पणी :– उपर्युक्त विभागीय प्रोन्नति समिति समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुरूप लागू रहेगा।

15. सेवा में प्रोन्नति के लिये विभागीय दायित्वों की अनिवार्यता :–

(i) इस सेवा के उच्चत्तर पद सोपान में प्रोन्नति हेतु सेवा सम्पुष्टि, हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा एवं जनजातीय भाषा परीक्षा की उत्तीर्णता आवश्यक होगी।

16. सेवा के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण :–

(i) सेवा के सभी कोटि के पदाधिकारियों का प्रशासनिक नियंत्रण, प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन होगा।

(ii) परिचालनात्मक (ऑपरेशनल) नियंत्रण – प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं उससे उच्चत्तर पदों के सदस्य जिस जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड में पदस्थापित रहेंगे, वे संवर्गीय कार्यालय प्रधान के परिचालनात्मक नियंत्रण में रहेंगे।

17. इस संवर्ग के वरीयता का निर्धारण :– इस सेवा के सदस्यों का वरीयता, आयोग द्वारा मेघा क्रम में अनुशंसा के आधार पर एवं इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्र/नियम के आलोक में निर्धारित की जायेगी।

18. अनुशासनिक कार्रवाई :– झारखण्ड आपूर्ति सेवा के सदस्यों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संदर्भ में झारखण्ड असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1930 (राजपत्रित के लिये) तथा बिहार एवं उड़ीसा अवर सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1935 (अराजपत्रित के लियें) के प्रावधान लागू होंगे।

19. प्रकीर्ण विषय :– इस नियमावली द्वारा की गयी व्यवस्था के सिवाय सेवा के किसी कोटि में नियुक्त व्यक्ति का वेतन (जिसके अन्तर्गत वेतन का निर्धारण भी है) भत्ते, छुट्टी, पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तें तत्समय उस हेतु प्रवृत्त राज्य सरकार के सामान्य नियमों या आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

20. इस नियमावली के किसी प्रावधान की व्याख्या के सम्बन्ध में यदि कोई भ्रम हो, तो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा/वित्त विभाग के परामर्श उपरांत ही किसी प्रावधान के व्याख्या के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

21. नियमों का शिथिलीकरण :–

सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्त्तों से संबंधित किसी नियम को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग तथा वित्त विभाग की सहमति से परिवर्त्तित की जा सकती है।

ह0/–
(अजय कुमार सिह),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– संख्या–खा0प्र0–2–स्था0–13/2005 (छाया संचिका)– /राँची, दिनांक

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित।

2. अनुरोध है कि मुद्रित राजपत्र की 500 प्रतियाँ खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

ह0/–

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– संख्या–खा0प्र0–2–स्था0–13/2005 (छाया संचिका)– 1803 /राँची, दिनांक 31.5.13

प्रतिलिपि – सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड/महाधिवक्ता कार्यालय, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/5/13

सरकार के सचिव।

परिशिष्ट –(I)
(नियम 6 (ii) द्रष्टव्य)

1.	सम्वर्ग/मूल कोटि का पद	–	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी
2.	वेतनमान	–	9300–34800/– ग्रेड पे 4200/–
3.	आयोग का नाम, जिसकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होनी है	–	झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग
4.	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु	–	न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो समय–समय पर राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) द्वारा निर्धारित है।
5.	सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम योग्यता	–	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री।
6.	प्रशिक्षण	–	परीक्ष्यमान अवधि में झारखण्ड लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान (ए.टी.आई.) मेयर्स रोड, राँची द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण का विषय खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग तथा लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान की सहमति से तैयार किया जायेगा।

7. विभागीय प्रोन्नति समिति – विभागीय प्रोन्नति समिति निम्न प्रकार होगी :–

(क)	प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	–	अध्यक्ष
(ख)	संयुक्त सचिव/उप सचिव, स्थापना प्रभारी, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	–	सदस्य सचिव
(ग)	कल्याण विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी	–	सदस्य
(घ)	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा द्वारा मनोनित अनु0जाति/जनजाति का प्रतिनिधि	–	सदस्य

8.

प्रोन्नति का पद	वेतनमान्
पणन पदाधिकारी	9300–34800, ग्रेड पे 4600
सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी	9300–34800, ग्रेड पे 4800
जिला आपूर्ति पदाधिकारी	9300–34800, ग्रेड पे 5400